HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3—उप-खड (i) / PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार में प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 314] No. 314] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 1998/श्रावण 30, 1920 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 1998/SHRAVANA 30, 1920

बित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर वार्ड

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 21 अगम्त, 1998

(आयकर)

साठकाठिन 507(अ). — चृंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए हम संघीय सरकार ने और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार उक्त अनुबंध के अनुच्छंद 28 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों संखिदाकारी राज्यों द्वारा अपने~अपने कानुनों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाहियों को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए पश्चात्वर्ती अधिमृचनाओं के प्राप्त होने के तीस दिन पश्चात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् हों होने के तीस

इमलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा पदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती हैं कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत के संघ में लागृ किए जाएंगे।

[अधिमूचना स० 10677/फा॰सं० 501/6/92-वि॰क०प०]

ए० एन० प्रमाद, संयुक्त याचिव

अनुबंध

दोहरे कगधान के परिहार संबंधी करार का मृल पाठ आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी राज्यसंघ की सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और रूमी राज्यसंघ की सरकार ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए तथा होना देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के बहेएय से एक उन्न सम्मन करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार महमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक-क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

 यह करार संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य में आय पर लगाए गए करों पर लागृ होगा ।

- 2. जिन करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया निम्नलिखित के अनुसार हैं :
 - (क) भारत के मामले में :
 आयकर सहित इस पर लगने बाला कोई अधिभार;
 (जिसे इसके बाद ''भारतीय कर'' कहा जाएगा)।
 - (ख) रूसी राज्यसंघ के मामले में :
 - (i) उद्यमों तथा संगठनों के लाभों (आय) पर कर; तथा
 - (ii) व्यप्टियों पर आयकर;

(जिसे इसके बाद ''रूसी कर'' कहा जाएगा)।

3. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वत: समान आयकरों पर भी नागु-होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ 2 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों में से किसी भी मंत्रिदाकारी राज्य में, लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसृचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानुनों में किए गए हों।

अनुच्छेद -3

सामान्य परिभाषाएं

- 1. इस करार में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
- (क) ''भारत'' पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और इसमें इसके आंतरिक जलाशय, राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उनके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र तथा अनन्यत: आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय जलगठन सीमा शामिल है जिसमें भारत अपने कानून तथा समुद्री कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभृता सम्पन्न अधिकार तथा क्षेत्राधिकार रखता हो और उस अधिकार का प्रयोग करता हो और जहां इसका कर कानून लागृ होता हो;
- (ख) ''रूसी राज्यसंघ (रूस)'' पद से अभिप्रेत हैं रूसी राज्यसंघ का राज्य क्षेत्र और इसमें इसके आंतरिक जलाशय, राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उनके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र तथा अनन्यतः आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय जलगठन सीमा शामिल है जिसमें रूसी राज्यसंघ अपने कानृन तथा समुद्री कानृन पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित अंतरराष्ट्रीय कानृन के अनुसार प्रभुता सम्पनन अधिकार तथा क्षेत्राधिकार रखता हो और उस अधिकार का प्रयोग करता हो और जहां इसका कर कानृन लागृ होता हो;
- (ग) ''एक संविदाकारी राज्य'' और ''दूसरा संविदाकारी राज्य'' पदों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार रूसी राज्यसंघ अथवा भारत से हैं:
- (घ) ''त्र्यक्ति'' पद में कोई व्यष्टि, कोई उद्यम, कोई कम्पनी तथा कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है;

- (ङ) ''कम्पनी'' पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत हैं जिसे किसी संविदाकारी राज्य में कर कानूनों के अंतर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;
- (च) ''एक संविदाकारी राज्य का उद्यम'' तथा ''दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम'' पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत हैं:
- (छ) ''र्साष्ट्रक'' पद से अभिप्रेत है;
 - (i) रूसी राज्यसंघ के मामले में, रूसी राज्यसंघ की नागरिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि तथा भारत के मामले में, भारत की नागरिकता धारण करने वाला कोई व्यप्टि;
 - (ii) कोई व्यस्टि, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानृनों से उस रूप में प्राप्त होती हो;
- (ज) ''अन्तर्राष्ट्रीय यातायात'' पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिषहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;
- (झ) "क्स" पद से संदर्भ की अपेक्षानुसार रूसी कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है किन्तु इसमें उन करों के संबंध में, दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के कानृनों के अंतर्गत लगाया गया कोई अर्थ-दण्ड अथवा ब्याज शामिल नहीं होगा, जो इस करार के विषय हैं;
- (ञ) ''वित्तीय वर्ष'' पद से अभिप्रेत है :
 - (i) रूसी राज्यसंघ के मामले में, पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष:
 - (ii) भारत के मामले में, पहली अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष;
- (ट) "सक्षम प्राधिकारी" पद मे अभिप्रेत है :
 - (i) रूसी राज्य संघ के मामले में, वित्त मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधिः;
 - (ii) भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि।
- 2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का जो उसमं परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक मंदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो जब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के मुख्यत: उन करों से संबंधित कानृनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह कराः लागू होता है।

अनुच्छेद-4

निवासी

- 1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत हैं—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य में उसके कानूनों के अनुसार उसके अधिवास, निवास, पंजीकरण स्थान, प्रबन्धन स्थान अथवा इसी प्राकर की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो।
- 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यस्टि दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी:
 - (क) उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हों (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
 - (ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित केन्द्रित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;
 - (ग) यदि वह आदतन दोनों हो राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;
 - (घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे।
- 3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध स्थान स्थित है।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

- 1. इस करार के प्रयोजनों के लिए ''स्थायी संस्थापन'' पद से कारोबार का वह एक निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार पूर्णत: अथवा अंशत: चलाया जाता है ।
 - 2. ''स्थायी संस्थापन'' पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - (क) प्रबंध का कोई स्थान;
 - (ख) कोई शाखा;
 - (ग) कोई कार्यालय;
 - (घ) कोई कारखाना;

- (ङ) कोई कार्यशाला:
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआं, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधानों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान:
- (छ) कोई प्रतिष्ठान अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज या उपयोग के लिए किया जाता हो:
- (ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों:
- (झ) कोई परिसर जिसका प्रयोग बिक्री बाजार के रूप में अथवा आर्डर प्राप्त करने या आर्डर मंगाने के लिए किया जाता हो:
- (ञ) कोई भवन स्थल अथवा निर्माणकार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप किन्तु ऐसा तभी होगा जब ऐसे भवन, परियोजना अथवा कार्यकलाप बारह महीने से अधिक अविध के लिए चलते रहें।

तथापि, विशेष मामलों में, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी समझौते द्वारा इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं कि उन मामलों में भी किसी भवन स्थल या निर्माणकार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना से संबंधित पर्यवेशी कार्यकलापों को स्थायी संस्थापन के रूप में होना न माना जाए जहां ऐसे भवन स्थल या संरचना, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना पर निर्माण कार्य की अविधि 12 महीने से अधिक हो जाती है।

- 3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी ''स्थायी संस्थापन'' पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :
 - (क) उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं
 के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रोजनार्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
 - (ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
 - (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;
 - (घ) उक्त उद्यम के जिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
 - (ङ) मात्र विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, सूचना की आपूर्ति के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अथवा इसके समरूप कार्यकलापों के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना जो प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकार का हो;

- (च) मात्र उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों के संयोजन के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखब करनाः
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपयंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 5 लागृ होता हो, से भिन्न कोई अन्य संविदाकारी सत्य के किसी उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता है तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किन्हीं भी ऐसी गतिविधियों के संबंध में एक स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को.
 - (क) उक्त उद्यम की ओर से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उसका प्रयोग करता हो जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 3 में उल्लिखित गतिविधियों तक ही सीमित न हों: अथवा
 - (ख) जो आदतन उक्त उद्यम की ओर से अथवा उसके द्वारा नियंत्रित अथवा उन उद्यमों की ओर से, जिनका उनमें नियंत्रण हित-निहित हो, अनन्यत: अथवा लगभग अनन्यत: उस राज्य में माल की बिक्री के लिए अथवा पण्य-वस्तुओं के लिए आईर प्राप्त करता हैं; अथवा
 - (ग) जिसे ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में आदतन माल या पण्य-बस्तुओं का कोई स्टॉक रखता है जिससे वह नियमित तौर पर उक्त उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-बस्तुएं प्रदान करता है;
 - (घ) यदि वह उपर्युक्त (ख) में बताए गए अनुसार कार्य करते हुए उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के लिए उस राज्य में विनिर्माण करता है अथवा संसाधित करता है।
- 5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट तथा स्वतंत्र हैं सियत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशरों कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि जब ऐसे एजेण्ट के कार्यकलाप पूर्णत: अथवा प्राय: पूर्णत: स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य ऐसे उद्यमों की ओर से किए जाते हों, जो उस उद्यम की भांति नियंत्रण करते हों, जिनका नियंत्रण किया जाता हो और जो एक जैसे सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, तो वह ऐसी स्थित में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैंसियत वाला एजेट नहीं समझा जाएगा।
- 6. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी हैं, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती हैं अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती हैं तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्तियों से आय

- किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी) मे प्राप्त आय सिंहत से प्राप्त आय पर भी दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता हैं।
- 2. ''अचल सम्पत्ति'' पद का अर्थ बही होगा जो अर्थ उक्त संविदाकारी राज्य के कानृन के अंतर्गत हैं. जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित हैं । जलयानों, नौकाओं, वायुयानों और सड़क बाहनों को अचल सम्पत्ति नहीं माना जाएगा ।
- "अचल सम्पनि" पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे— अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खानिज भण्डामें, स्नोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन अथवा दोहन के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार ।
- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा उसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से उद्भृत होने बाली आय पर लागू होंगे ।
- 4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति में अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल समपत्ति में अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

- 1. एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर प्रथमोहिलाखित राज्य में तभी कर लगेगा यदि ये बहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हों किन्तु उनके केवल उतने लाभों पर कर लगाया जाएगा जो ऐसे संस्थायी संस्थापन के कार्यकलाय से उत्पन्त हुए माने जाएंगे।
- 2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किमी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा, जिसके होने की तब अपेक्षा रहतो जब वह एक-समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।
- 3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस व्यय ही कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिसमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी और मामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे जो उस राज्य के कराधान कानुनों के उपबंधों के अनुसार हों और उनकी परिधि के अन्दर आते हों, फिर चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों।

- 4. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-त्रस्तुएं खरीदी गई हैं।
- 5. इस अनुस्छेद के पूर्वधर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभ को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई उचित तथा पर्याप्त कारण उपस्थित न हो ।
- 6. जहां लाभ में आय की वे मदें शामिल हैं जिनका इस करार के अनुच्छेदों मे अलग से विवेचन किया गया है वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8 अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन से प्राप्त आय

- 1. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन या उनके किराए में प्राप्त आय तथा आधानों और ऐसे संबंधित उपस्कर, जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन का एक अंग हो, उसके किराए से प्राप्त आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी फूल, संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।
- 3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से सीधे तौर पर संबंध रखने वाली निधियों पर ब्याज को ऐमे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त आय के रूप में माना जाएगा तथा ऐसे न्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपबंध लागृ नहीं होंगे, बशर्ते कि ऐसी निधियां उस संचालन में प्रासंगिक हों।
- 4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के पत्तनों और तीसरे देश के पत्तनों के बीच जलयानों के संचालन से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उस दूसरे राज्य में लगाया गया कर उसके दो तिहाई के बराबर की राशि द्वारा कम कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद - 9 संबद्घ उद्यम

जहां :

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण पृंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) वही व्यक्ति, एक संविदाकाकरी राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी क्षेत्र जो उन शर्तों के न होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम की प्राप्त होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेंगा ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

- एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।
- 2. तथापि, ऐसे लाभांशो पर उस संविदाकारी राज्य के कानृन के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, किन्तु यदि लाभांशों के हितभागी स्वामी के लाभांशों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाता है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभाशों का भुगतान किया जाता है ।

- 3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभागों" राख्य का अभिप्राय शेयरों या अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से हैं, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण-दावे नहीं हों और अन्य निर्गामत अधिकारों से प्राप्त आय से हैं, जिस पर वहीं कराधान व्यवस्था लागू होती हैं जो उस राज्य के कानृनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागृ होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी हैं।
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभाशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी स्थान से स्यतंत्र वैयांक्तक सेवाएं सम्पन्न करता है और लाभांश ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से उद्भृत होते हैं । ऐसे मामलें में इस करार के अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध, में जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।
- 5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभाशों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थान या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और नहीं उक्त कम्पनी के अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहं अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11

क्याज

 एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

- 2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार, जिस राज्य में सह अद्भूत होता है, कर लगाया जाएगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्थामी है तो इस तरह से लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
- 3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से उसके स्वामित्य में रखा जाता है:
 - सरकार, दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
 - (ii) अन्य संविदाकारी राज्य का सैन्ट्रल बैंक; अथवा
 - (iii) अन्य सरकारी एजेंसियां अथवा वित्तीय संस्थाएं जिनको संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच टिप्पणियों का अदान-प्रदान करके विनिर्दिष्ट किया जा सके और उन पर करार किया जा सके ।
- 4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त ''ब्याज'' पद से अभिप्रेत हैं—
 प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय और विशेष रूप से
 सरकारी प्रतिभृतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त
 आय, जिसमें ऐसी प्रतिभृतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम
 और पुरस्कार सम्मिलित हों । देर से की जाने वाली अदायगी के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज नहीं समझा
 जाएगा ।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से करोबार करता हो, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निप्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो । ऐसे मामले में इस करार के अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध, जैसी भी स्थित हो, लागू होंगे ।
- 6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य कोई राजनैतिक उप– प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक नियत स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और ऐसा ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में ही उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित है।
- 7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए

जिसके लिए ब्याज अदा किया गया है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले मे अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

- 1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायिल्टियों ओर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. तथापि, इस प्रकार की रायिल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकाकरी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायिल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायिल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त ''रायिल्टयां'' पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—
 - (क) सिनेमा फिल्मों अथवा रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण के संबंध में प्रयोग के लिए पुनर्निमाण के किसी माध्यम पर रिकार्डिंग, किसी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल अथवा प्लान, जानकारी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रोग्राम, गुप्त फार्मृला या प्रक्रिया सिंहत किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी कापीराइट के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां; और
 - (ख) किसी औद्योगिक, वाण्ण्य अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगिधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां।
- 4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ''तकनीकी सेवाओं के लिए फीस'' से अभिप्रेत हैं तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं के प्रावधान सिंहत कोई प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के लिए उसके प्रतिफल में किसी भी प्रकार की अदायिगयां किन्तु इस में इस करार के अनुच्छेद 14 और 15 में उस्लिखित सेवाओं के लिए अदायिगयां सिम्मिलित नहीं हैं।
- 5. पैराग्राफ 1 ओर 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायिल्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायिल्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भृत होती है, वहां पर स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के

संबंध में रायिल्टयां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध लागू होंगे।

- 6. एक संविदाकारी राज्य में रायिल्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब रायिल्टयां और फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायिल्टयां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चत स्थान हो, जिसके संबंध में रायिल्टयां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायिल्टयां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायिल्टयां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भृत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थात है।
- 7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जो ऐसे संबंधों की अनुपस्थित में अदा की गई होती, यहां इस अनुच्छेद के उपयंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कामूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-13 पृंजीगत अभिलाभ

- अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण सं एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित किसी ऐसी चल सम्पति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
- 3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा ऐसे संचालन से संबंधित चल सम्पति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी हैं।
- 4. किसी ऐसी कम्पनी के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित सम्पति से भिन्न किसी सम्पति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी हो ।

अनुच्छेद-14 स्वतंत्र वंयक्तिक सेवाएं

- किसी ऐसे व्याष्ट द्वारा, जो किसी सीवदाकारी राज्य का निवासी हो, दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित स्थिति न हो :
 - (क) ऐसी सेवाएं दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हों अथवा की गई हों और उक्त आय किस्तो ऐसे निश्चित स्थान से उद्भृत होती हो जो उस व्यष्टि को दूसरे राज्य में नियमित रूप से उपलब्ध हो अथवा उपलब्ध होती थी; अथवा
 - (ख) प्राप्तकर्ता दूमरे संविदाकारी राज्य में किसी 12 महीने की अविध में कुल मिलाकर 183 दिन की अर्वाध अथवा अविधयों से अधिक तक उपस्थित रहता हो ;
- 2. ''य्यायसायिक सेकाएं ''भं विशेषतया स्यतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा काय-चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, दंत-चिकित्सकों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, वकीलों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलत हैं।

अनुच्छेद-15 परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

- 1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी हास किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, भजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो । यदि ऐसे नियोजन का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होगा, दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रामिक पर प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा मकेंगा, यदि:
 - (क) प्राप्त दूसरे मंविदाकारी राज्य में किसी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन की अवधि अथवा अवधिया से अनाधक तक उपस्थित रहता है; तथा
 - (ख) परिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथया उसकी और सं दिया जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; तथा
 - (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान द्वारा बहन नहीं किया जाता है जो उक्त नियोजक दूसरे संविदाकारी राज्य में रखता है ।
- 3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा संचालित किसी जलयान अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा !

अनुच्छेद-16 निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की जाती हैं, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुष्छेद-17

मनोरंजनकर्ताओं और खिलाड़ियों की आय

- 1. अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राष्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राष्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयिक्तक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राष्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य य्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।
- 3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी ऐसे मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी इस प्रकार से की गई वैयक्तिक सेवाओं से प्राप्त आय पर केवल प्रथमोल्लिखत संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलापों को पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से प्रथमोल्लिखत संविदाकारी राज्य द्वारा वित्त-पोषित किया जाता है, जिसमें कोई भी उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं।

अनुच्छेद-18

सरकारी सेवा से आय

- 1.(क) संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यिष्ट की उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।
- (ग्व) तथापि, एंसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे सींवदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हों और वह व्यप्टि उस राज्य का एक निवासी हो, जो :
- (1) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा
- (2) सेवाएं प्रस्तृत करने के प्रयोजन मात्र से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।
- 2.(क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उनमें से उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई संवाओं के संबंध में किसी ख्यप्टि को अदा की गई पेंशन पर

केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा यदि व्यप्टि उस राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।
- 3. अनुष्छेद 15, 16 और 19 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी बारबार के सिलसिले में की गई सेवाओं से संबंधित पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-19

पेंशन और वार्षिकियां

- 1. अनुच्छेद 18 में जिनका उल्लेख किया गया है और अन्य इसी तरह के पारिश्रमिक जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को अतीत काल के नियोजन के प्रतिफल में दिया जाता है और ऐसे निवासी को दी जाने वाली किसी वार्षिकी पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जहां ऐसी आय उद्भृत होती हैं।
- 2. ''वार्षिकी'' पद का अर्थ है धनराशि में अथवा धनराशि के मूल्य में पर्याप्त और पूर्ण प्रतिफल के बदले में अदायगी करने की बाध्यता के अंतर्गत जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चय समयाविध के दौरान देय कोई निश्चित धन-राशि है जो निश्चित समय पर आवधिक तौर पर देय होती है ।

अनुच्छेद-20

विद्यार्थी और प्रशिक्ष

- 1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो किसी संविदाकारी राज्य को दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, निम्निलिखित पर उस प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि ऐसी अदायिगयां उस राज्य के बाहर से प्राप्त होती हों!
- 2. कोई ऐसा व्यष्टि जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने सं तुग्न पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई निवासी है अथवा था और जो किसी वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा धर्मार्थ संगठन से किसी अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किए गए तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मात्र अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखत राज्य में दो वर्षों से अनिधक अवधि के लिए उपस्थित रहता है उसको, उस दौरे के संबंध में प्रथमोल्लिखत राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से प्रथमोल्लिखत राज्य में, कर से छुट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद-21

प्रोफेसर, अध्यापक और अनुसंधानकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक अथवा अनुसंधानकर्ता जो किसी विश्विवद्यालय अथवा उस राज्य में सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य शैक्षिक संस्था में अध्यापन अथवा अनुसंधान करने के प्रयोजनार्थ दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का दौरा करता है और जो उस दौरे के तुप्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी था उसे ऐसे प्रयोजन के लिए उस राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अनिधक अविध के लिए ऐसे

अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए प्राप्त किए गए किसी भी पारिश्रमिक के बारे में प्रथमोल्लिखित राज्य द्वारा कर से छूट दी जाएगी ।

 यह अनुच्छेद अनुसंधान से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान लोक हित में न किया गया हो अपितु मुख्यतः किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए किया गया हो।

अनुच्छेद-22 अन्य आय

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं भी उद्भूत होती हो और जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्देछों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होंगी।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुछेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी-संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी-संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।
- 3. पैराग्राफ 1 और 2के उपबंधों के होते हुए भी, लाटरियों, वर्ग-पहेलियों, घुड़दौड़ों सिंहत रेसों (दौड़ों), कार्ड गेमों तथा अन्य किसी भी किस्म अथवा प्रकार के गेमों से जीत की धनराशियों अथवा पुरस्कारों के रूप में प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जहां वे उद्भूत होती हैं।

अनुच्छेद∙23

दोहरे कराधान के अपाकरण की पद्धतियां

 रूस के मामले में दोहरा कराधान निम्न प्रकार से अपाकृत किया जाता है।

जहां रूस का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, तब भारत में संदेय उस आय पर कर की रकम को रूस के निवासी पर लगाए गए कर की राशि के प्रति क्रेडिट दिया जा सकता है। तथापि, क्रेडिट की रकम रूस के कराधान कानूनों और विनियमों के अनुसार संगणित आय पर कर की रक्षम से अधिक नहीं होगी।

2. भारत के मामले में दोहरा कराधान निम्न प्रकार से अपाकृत किया जाता है:

जहां कोई भारतीय निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार रूस में कर लगाया जा सकता हो वहां भारत उस निवासी की आय पर कर से रूस में प्रदत्त आयकर के बराबर की रकम की कटौती देगा, चाहे यह कटौती प्रत्यक्षत: दी जाए अथवा स्रोत पर कटौती द्वारा दी जाए। तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती आयकर के उस भाग (जो कटौती दिए जाने से पहले संगणित की जाती है) से अधिक नहीं होगी जो उस आय से उद्भृत मानी जाती है जिस पर रूस में कर लगाया जा सकता है।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ पद ''कर'' प्रदत्त अथवा संदेय में, जैसा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लेख किया गया है, वह कर शामिल माना जाएगा जो किसी संविदाकारी राज्य के कानून में अंतर्वीलत प्रोत्साहन उपबंधों के अंतर्गत दी गई कर की किसी छूट अथवा कटौती न दिए जाने पर अदा किया गया होता जिसका उद्देश्य उस सीमा तक आर्थिक विकास करना है कि ऐसी छूट अथवा कटौती औद्योगिक, निर्माण-कार्य, विनिर्माण अथवा कृषि संबंधी कार्यकलापों से प्राप्त लाभों के लिए दी जाती है बशर्ते कि उक्त कार्य-कलाप उस संविदाकारी राज्य में ही किए गए हों।

सक्षम प्राधिकारी अन्य कार्यकलपों पर भी इस उपबंध के अनुप्रयोग का विस्तार करने के लिए सहमत हो सकते हैं।

इस पैराग्राफ के उपबंध केवल प्रथम दस वर्षों तक ही लागू रहेंगे जिस के दौरान यह करार प्रभावी रहेगा। इस अवधि को सक्षम प्राधिकारियों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

अनुच्छेद-24 समब्यवहार

- 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान को अथवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में, विशेषकर निवास के संबंध में लगाए जाने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो। यह उपबंध अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्य में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी नहीं हैं।
- 2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थागत पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक समान परिस्थितियों और एक समान हालातों में उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।
- 3. इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी संविदाकारी राज्य को इस बात के लिए बाध्य करना है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को कराधान के प्रयोजनार्थ सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कोई ऐसी व्यक्तिक छूट, गहत और काटौती प्रदान करे जो वह अपने स्वयं के निवासियों को प्रदान करता है।
- 4. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पेराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं वहां एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज, रायिल्टयाँ और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर-योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वैसी ही स्थितियों में कटौती योग्य होंगे जैसे कि उन्हें प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया था।
- 5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमो तर, जिनकी पूंजी पूर्णत: अथवा अंशत: दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासि हैं के प्रत्यक्ष अथवा स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखत राज्य हे ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो उस प्रथमोल्लिखत राज्य के अन्य मर् कि उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों में तथा उससे मिलती-जुलती स्थितियां में लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।
- 6. इस अनुच्छेद के उपबंध उन करों पर लागू होंगे जो इस करार के विषय हैं।

अमुच्छेद-25

पारस्परिक करार प्रक्रिया

- 1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस करार के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह, उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी अथवा राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान किया गया है जो इस करार के अनुरूप नहीं है।
- 2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपित उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसी कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी भी करार को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आंतरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा निर्धारित क्यों न हो।
- 3. इस करार को निर्वचन करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमित से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।
- 4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं।

अनुच्छेद-26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी (दस्तावेजों सहित) ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस प्रकार के उपबंधों को अथवा इस करार के अंतर्गत आने वाले संविदाकारी राज्यों के करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था, विशेषकर ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपवंचन को रोकने के लिए इस करार के प्रतिकूल नहीं हो।

किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशानिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस करार के अंतर्गत आने वाले करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों। ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे किन्तु वे उक्त सूचना के सार्वजिनक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

 सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान विशेष मामलों अथवा दोनों के संदर्भ में या तो नेमी तौर पर किया जाएगा अथवा अनुरोध करने पर किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर समय-समय पर करार करेंगे जिसे नेमी आधार पर मुहैया कराया जाएगा।

- 3. िकसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ इस तरह नहीं लगाया जाएगा कि उससे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता लागू हो जाए :
 - (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना :
 - (ख) ऐसी सूचना को उपलब्ध कराना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं हों:
 - (ग) ऐसी सूचना को उपलब्ध कराना जिससे किसी व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, व्याणिष्यक अथवा पेशे संबंधी 'रहस्य अथवा व्यापारिक प्रक्रिया या सूचना का पता चले और जिसको बताना सार्वजनिक नीति के प्रतिकृत्ल बात हो।

अनुच्छेद-27

राजनियक मिशनों के सदस्य और वाणिज्यिक—दूत संबंधी पद

इस करार की किसी बात से अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनियक मिशनों के सदस्यों अथवा वाणिज्य-दूत संबंधी पदों और अन्य व्यक्तियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-28 प्रवृत्त होना

- दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने हेतु अपने-अपने कानूनों के द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में, राजनियक माध्यमों से, लिखित रूप में, एक दूसरे को अधिसूचित करेगा।
- यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति के 30 दिन बाद लागू होगा।
 - 3. इस करार के उपबंध निम्न प्रकार से प्रभावी होंगे :-
 - (क) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके बाद वाले अगले वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में।

(खा) रूसमें:

- (i) स्रोत पर रोक लिए गए उन करों के संबंध में,
 जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता
 है उसके बाद वाले अगले वर्ष में जनवरी के
 प्रथम दिन या उसके बाद उद्भृत होने वाली
 आय के लिए;
- (ii) आय पर अन्य करों के बारे में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके बाद

वाली अगली जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाले करों के लिए।

4. आय के दोहरे कराधान के परिहार के लिए सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच इस करार के उपबंध, जिस पर 20 नवंबर, 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और जिसे संविदाकारी राज्यों के आपसी करार के आधार पर रूसी राज्यसंघ के लिए बाद में लागू कर दिया गया था, इस करार के लागू होने की तारीख से प्रभावी नहीं रहेंगे।

अनुच्छेद-29

समापन

- 1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोई संविदाकारी राज्य इसका समापन नहीं कर देता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम 6 महीने पहले, राजनियक माध्यमों से, समापन का नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है।
 - 2. यह करार निम्नलिखित पर प्रभावी नहीं रहेगा:
 - (क) भारत में:

जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके बाद वाले अगले अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उद्भृत होने वाली आय के संबंध में।

(खा) रूसमें:

- (i) स्रोत पर रोक लिए गए उन करों के संबंध में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके बाद वाले अगले वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद उद्भृत होने वाली आय के लिए;
- (ii) आय पर अन्य करों के संबंध में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके बाद वाली अगली जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए उद्भूत होने वाले करों के लिए।

भास्को में वर्ष एक हजार नौ सौ सत्तानवे के मार्च माह के 25 वें दिन हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी तीनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। पाठों में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ लागू होगा।

> भारत गणराज्य की सरकार रूसी राज्यसंघ की सरकार की ओर से की ओर से

> > ₹0

₹

(पी० चिदम्बरम)

(अनातोली बी०चुबाइस)

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी राज्य संघ की सरकार के बीच करार का

प्रोतोकोल

भारत गणराज्य की सरकार और रूसी राज्यसंघ की सरकार ने

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी राज्यसंघ की सरकार के बीच आज हस्ताक्षर किए गए (जिसे इस प्रोतोकोल में ''करार'' कहा गया है) करार को ध्यान में रखते हुए

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए हैं:

- इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 4 के संदर्भ में, संविदाकारी राज्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख से लेकर तीन वर्षों की समाप्ति पर , पैराग्राफ 4 के उपबंध निष्प्रभावी हो जाएंगे।
- 2. करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के खंड (ञ) के संबंध में सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक परियोजना से संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलापों के विशेष मामलों में उपर्युक्त खंड में उल्लिखित पारस्परिक करार प्रक्रिया को अपनाएंगे जा निम्निलिखित शर्तों को पूरा करती हो :
 - (क) परियोजना को संबंधित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;
 - (ख) यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है ;
 - (ग) पर्यवेक्षी कार्यकलापों के लिए फीस, संविदा में उल्लिखित मशीनरी और उपकरणों की लागत सिंहत, परियोजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;
 - (घ) परियोजना की कुल लागत 10 मिलीयन यू.एस. डालर से कम नहीं होगी;
 - (ङ) परियोजना का कार्यकाल 12 महीनों से लेकर 5 वर्षों अथवा संविदा का अनुमोदन करने वाले प्रधिकारी द्वारा संविदा में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी ही दीर्घावधि तक का है। उक्त समय में वह आगे बढ़ाई गई अवधि भी शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्रधिकारी से परामर्श करके परियोजना का अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जाएगा; और
 - (च) उक्त उद्यम, उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें पर्यवेक्षी कार्यकलाप किए जा रहे हैं, कर के परिहार अथवा अपवंचन में अंतर्वेलित नहीं है।

जहां इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) से (च) तक की ऊपर उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं वहां उक्त उद्यम को उस संविदाकारी राज्य में जहां वह परियोजना स्थित है, पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए ऐसी दर पर फीस के रूप में अपनी आय पर कर देना होगा, जो दर ऐसी फीस की कुल राशि की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जैसा कि रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संबंध में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत लागू होता है।

 इस करार के अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के स्थायी संस्थापन के लाभों पर ऐसी दर पर कर लगाएगा जो कि प्रथमोहिलाखित संविदाकारी राज्य के ऐसे ही उद्यम के लाभों पर लगाई गई दर से अधिक हो। यह भी व्यवस्था की जाती है कि किसी भी मामले में उपर्युक्त दोनों दरों में विभिन्नता 12 प्रतिशत बिन्दुओं से अधिक नहीं होगी।

इस करार के प्रवृत्त हो जाने के बाद एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन पर दूसरे सीवदाकारी राज्य में कराधान, उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा किसी तीसरे देश के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन के लिए की गई कर व्यवस्था से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा।

यह प्रोतोकोल इस करार का एक अभिन्न अंग होगा।

मास्को में वर्ष एक हजार नौ सौ सत्तानवे के मार्च माह के 25 वें दिन हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्यन्न किया गया और तीनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। पाठों में अर्थ की भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार रुसी राज्यसंघ की सरकार की ओर से

। आर स ह.

ह.

(पी० चिदम्बरम)

(अनातोली बी० चुबाइस)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st, August, 1998

INCOME-TAX

G.S.R. 507(E).—Whereas the annexed agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation with regard to taxes on income has entered into force on the eleventh day of April, 1998, thirty days after the receipt of later of notifications by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their respective laws for entry into force of the said agreement in accordance with Article 28 of the said agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said agreement shall be given effect to in the Union of India.

[Notification. No. 10677/F. 501/6/92 FTD]

A. N. PRASAD, Jt. Secy.

ANNEXURE

Text of Double Taxation Avoidance Agreement

AGREEMENT

between the Government of the Republic of India
and the Government of the Russian Federation
for the avoidance of double taxation

with respect to taxes on income

The Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

have agreed as follows:

Article 1

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

- 1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed in each Contracting State.
- 2. The taxes to which this Agreement shall apply are in particular:
 - (a) in the case of the Russian Federation:
 - (i) taxes on profits (income) of enterprises and organisations; and
 - (ii) the income tax on individuals (hereinafter referred to as "Russian Tax");
 - (b) in the case of India:

income-tax, including any surcharge thereon (hereinafter referred to as "Indian Tax").

3. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes on income which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 2. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

- 1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "the Russian Federation (Russia)" means the territory of the Russian Federation and includes

its internal waters, territorial sea and air space above them as well as exclusive economic zone and continental shelf within which the Russian Federation has and exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with its national legislation and international law including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, and where its tax legislation is applicable;

- (b) the term "India" means the territory of India and includes its internal waters, territorial sea and air space above them as well as exclusive economic zone and continental shelf within which the Republic of India has and exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with its national legislation and international law including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, and where its tax legislation is applicable;
- (c) the terms "a Contracting State", and "the other Contracting State" means the Russian Federation or India, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, an enterprise, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in a Contracting State;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in a Contracting State;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "national" means:
 - (i) in the case of the Russian Federation, any individual possessing the citizenship of the Russian Federation, and in the case of India, any individual possessing the nationality of India;
 - (ii) any person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- (h) the term "international traffic" means any transportation by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (i) the term "tax" means Russian tax or Indian tax, as the context requires, but shall not include any penalty or interest imposed under the laws of either Contracting State in relation to the taxes which are the subject of this Agreement;

- (j) the term "fiscal year" means:
 - (i) in the case of the Russian Federation, the financial year, beginning on the 1st of January;
 - (ii) in the case of India, the financial year beginning on the 1st of April;
- (k) the term "competent authority" means:
 - in the case of the Russian Federation—the Ministry of Finance or its authorised representative;
 - (ii) in the case of India—the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative.
- 2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State primarily concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

Resident

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of registration, place of management or any other similar criterion.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
 - (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
 - (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisione of paragraph 1, a person other then an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Permanent Establishment

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
- 2. The term "permanent estasblishment" includes esplecially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
 - (g) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources;
 - (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
 - (i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
 - (j) a building site or construction; installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities continue for a period of more than 12 months.

However, the competent authorities of the Contracting States may, in particular cases, agree by mutual agreement to consider the supervisory activities in connection with a building site or construction, installation or assembly project as not constituting a permanent establishment also in the cases in which the duration or works on a building site or construction, installation or assembly project exceeds 12 month.

- 3. Nowithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the entertprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprises solely for the purposes of storage or display;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprises solely for the purposes of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or an auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e).
- 4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person-other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies-is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if—
 - (a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts or carry on any business activities on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those specified in paragraph 3 of this Article; or
 - (b) he habitually secures orders for the sale of goods or merchandise in that State exclusively or almost exclusively on behalf of the enterprise or other enterprise controlled by it or which have a controlling interest in it; or
 - (c) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
 - (d) in acting as described in (b) above he manufactures or process in that State for the enterprise, goods or merchandise belonging to the enterprise.
- 5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
- 6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Income from Immovable Property

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be also taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. Ships, boats, aircraft and road vehicles shall not be regarded as immovable property.

The term "immovable property" shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the wacking of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.

- 3. The provisions of paragraph I shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to imcome immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business Profits

- 1. The profits derived in a Contracting State by a enterprise of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State only if it is derived through a permenent establishment situated therein and only so much of them as is attributable to the activity of such permanent establishment.
- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permenent establishment situated therein, there shall, in each Contracting State, be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct as separate entreprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- 3. In determining the profits of a permenent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permenent establishment, including executive and general administrative expenses, so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State.

- 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 5. For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Income from International Transport

- 1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation or rental of ships or aircraft in international traffic and the rental of containers and related equipment which is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income from the participation in a pool, joint business or an international operating agency.
- 3. For the purposes of this Article, interest on funds connected directly with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income dervied from the operation of such ships or aircraft; and the provisions of Article 11 shall also not apply in relation to such interest, provided that such funds are incidental to that operation.
- 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, income dervied by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships between the ports of the other Contracting State and the ports of third countries may be taxed in that other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to two-thirds thereof.

Article 9

Associated Enterprises

Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enter-

prises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the Company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is subject to tax thereon in the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishement, or performs independent personal services from a fixed base situated therein and the dividends are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 7 or 14 of this Agreement, as the case may be, shall apply.
- 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws

of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:
 - (i) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
 - (ii) the Central Bank of the other Contracting State;
 - (iii) the other governmental agencies or financial institutions as may be specified and agreed to in an exchange of notes between the competent authorities of the Contracting States.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, and in particular income from government securities, bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interset arises, through a permanent estiblishment or performs independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent estiblishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 7 or 14 of this Agreement, as the case may be, shall apply.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Contracting State itself, a political subdivision, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or a fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of interest or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Royalties and Fees for Technical Services

- 1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
- 3. The term "roiyalties" as used in this Article means:
 - (a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic, or scientific work, including cinematograph films or recordings on any means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, knowhow, computer software programme, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; and
 - (b) payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial, or scientific equipment.
- 4. For the purposes of this Article, "fees for technical services" means payments of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, properly or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 of Article 14, as the case may be, shall apply.
- 6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical

services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment of fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital Gains

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
- 2. Gains derived from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Gains derived from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to such operation shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
- 4. Gains from the alienation of shares of a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
- 5. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent Personal Services

- 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other activities of an independent character in another Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, unless:
 - (a) such services are performed or were performed in the other Contracting State and the income is attributable to a fixed base which the individual has or had regularly available to him in that other State; or

- (b) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period.
- 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, dentists, engineers, architects, lawyers and accountants.

Dependent Personal Services

- 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period; and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contgracting State; and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed base which the employer has in the other Contracting State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxed in that State.

Article 16

Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Income of Entertainers and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his per-

sonal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or a sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by an entertainer or a sportsman who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are finance wholly or substantially by the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

Article 18

Income from Government Service

- (a) Remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State, a political sub-division or local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, political sub-division or local authority thereof shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or su-division or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.
- 3. The provisions of Articles 15,16 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by contracting State or a political subdivision or local authority thereof.

Article 19

Pensions and Annuities

1. Pensions, other than those referred to in Article 18, and other similar remuneration paid in consideration of past employment to resident of a Contracting State and any annuity paid to such a resident shall be taxable only in the State where such income is derived.

2. The term 'annuity' means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payment in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

Students and Trainees

- I. A student or business apprentice who, immediately before visiting a Contracting State is or was resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training shall be exempted from tax in that first-mentioned State, provided that such payments are received from outside that State.
- 2. An individual who immediately before visiting a Contracting State, is or was a resident of other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for a period not exceeding two years solely for the purpose of study, research or training as a recipient of a grant, allowance or award from a scientific, educational, religious or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of that other Contracting State shall, from the date of his arrival in the first-mentioned State in connection with that visit, be exempt from tax in the first-mentioned State.

Article 21

Professors, Teachers and Researchers

- 1. A professor, teacher or researcher who visits one of the Contracting States for the purpose of teaching or engaging in research at a university or any other educational institution approved by the Government in that State and who, immediately before that visit, was a resident of the other Contracting State shall be exempted from tax by the first-mentioned State in respect of any remuneration received for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that State for such purpose.
- 2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the benefit of a specific person or persons.

Article 22

Other Income

- 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising which are not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the beneficial owner of such income, being a resident of a Contracting State, carries

on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 any income in the form of winnings or prizes from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any form or nature whatsoever may be taxed in the Contracting State where they arise.

Article 23

Methods of Elimination of Double Taxation

1. In the case of Russia double taxation is eliminated as follows:

Where a resident of Russia derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, the amount of tax on that income payable in India may be credited against the tax imposed on that resident of Russia. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the tax on that income computed in accordance with the taxation laws and regulations of Russia.

2. In the case of India double taxation is eliminated as follows :

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Russia, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income-tax paid in Russia whether directly or by deduction at source. Scuh deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Russia.

3. For the purposes of this Article the term "tax" paid or payable as mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been paid but for any exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in the law of a Contracting State designed to promote economic development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial construction, manufacturing or agricultural activities provided that the activities have been carried out within the Contracting State.

The competent authorities may agree to extend the application of this provision also to other activities.

The provisions of this paragraph shall apply only for the first ten years during which this Agreement is effective. This period may be extended by a mutal agreement between the competent authorities.

Non-Discrimination

- 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1 also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other state than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.
- 3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
- 4. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalitles and other disbursments paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
- 5. Enterprises of a Contracting State the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected there with which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.
- 6. The provisions of this Article shall apply to taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remidies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented nothwithstanding any time limits provided for in the domestic laws of the contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doublts arising as to interpretation or application of the Agreement. They may also consult with each other for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of Information

- 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorties shall use the information only for such pruposes, but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
- 2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine bases.
- 3. In no case shall the provisions of paragraph I be construed so as to impose on a Contracting State the obligation.
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or the other Contracting State;
 - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the

administration of that or of the other Contracting State:

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts or other persons for whom they are provided under the rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

Entry into Force

- 1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.
- 2. This Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the latter of the notifications referred to in paragradph 1 of this Article.
 - 3. The provisions of this Agreement shall have effect:

(a) In Russia:

- in respect of taxes withheld at sources, to income arising on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which this Agreement enters into force;
- (ii) In respect of other taxes on income, to taxes arising for any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which this Agreement enters into force.

(b) In India;

in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which this Agreement enters into force.

4. The provisions of the Agreement between the Government of the Union of the Soviet Socialist Republics and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation of income signed in New Delhi on 20th of November 1988 and subsequently extended to the Russian Federation on the basis of mutual agreement of the Contracting States shall cease to have effect on the date of coming into force of this Agreement.

Article 29

Termination

- 1. The Agreement shall remain in force unless terminated by a Contracting State—Either Contracting State may terminate this Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force.
 - 2. This Agreement shall cease to have effect

(a) In Russia:

- (1) In respect of taxes withheld—at source, to income arising on or after the first day of January in the calendar year next—tollowing the year in which the notice of termination is given;
- (ii) In respect of other taxes on income, to taxes arising for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice of termination is given.

(b) In India:

in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

Done at Moscow, this 25th day of March 1997, in duplicate in the Russian, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the Republic of India For the Government of the Russian Federation

(P. CHIDAMBARAM)

(ANATOLY B. CHVBAIS)

PROTOCOL

to the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income

The Government of the Republic of India and the Government of Russian Federation,

Having regard to the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income signed today (in this Protocol called "the Agreement"),

Have agreed as follows:

1. With reference to paragraph 4 of Article 8 of the Agreement, the Contracting States agree that at the end of three years from the date of entry into force of this Agreement, the provisions of paragraph 4 will cease to have effect.

- 2. With respect to clause (i) of paragraph 2 of Article 5 of the Agreement, the competent authorities of the Contracting States may invoke mutual agreement procedure referred to in the aforesaid clause in particular cases of supervisory activities relating to a project which satisfies the following conditions:
 - (a) the project has been approved by the Government of the concerned Contracting State;
 - (b) it is a turn-key project;
 - (c) the fees for supervisory activities do not exceed 10 per cent of the rotal cost of the project, including the cost of the machinery and the equipment mentioned in the contract:
 - (d) the total cost of the project is not less than US \$ 10 million:
 - (e) the duration of the project is for a period extending from 12 months to five years or such longer period as has been specified in the contract by the authority granting approval to the contract. The said time will include the further period which may be extended by the project approving authority in consultation with the competent authority of the concerned Contracting State; and
 - (f) the enterprise is not involved in avoidance or evasion of tax in the Contracting State in which supervisory activities are being rendered. Where aforementioned conditions of sub-paragraphs (a) to (f) of this paragraph are fulfilled, the enterprise shall be liable to pay in that Contracting State where the project is situated, tax on its income by way

- of fees for supervisory activities at the rate not exceeding 10 per cent of the gross amount of such fees as is applicable under Article 12 in respect of royalties and fees for technical services.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of Article 24 of this Agreement, either Contracting State may tax the profits of a permanent establishment of an enterprise of the other Contracting State at a rate which is higher than that applied to the profits of a similar enterprise of the firstmentioned Contracting State. It is also provided that in no case the differences in the two rates, referred to above will exceed 12 percentage points.

This taxation of a permanent establishment of an enterprise of one Contracting State in the other Contracting State shall not after the coming into force of this Agreement, be less favourable than the tax treatment given by that other Contracting State to a permanent establishment of an enterprise of any third country.

This protocol shall form an integral part of the Agreement.

Done at Moscow, this 25th day of March 1997, in duplicate in the Russian, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the Republic of India

For the Government of the Russian Federation

(P. CHIDAMBARAM)

(ANATOLY B. CHVBAIS)